31.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत आयोजन से पंचायत मुख्यालय सिणधरी चारणान में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षी सं० 1 अनुपस्थित। विपक्षी सं. 2 का

का नोटिस तामील प्राप्त हुआ है। जो बावजूद सूचना अनुपस्थित है। मौका रिपोर्ट शामिल मिसल हो। उभयपक्ष कार्यवाही की

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

[illegible] बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया, कि तहसीलदार सिवाणा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम- कुन्दाडी की बेरी के खसरा नं. 321/1 रकबा 6-06 बीघा भूमि जो गैर मुमकिन सड़क की भूमि है। की तरमीम शुद्धि हेतु आवेदन किया है। तत्कालीन ग्राम ओडल के नामान्तरण नं. 258/ 3.6.74 द्वारा खातेदार केसा वल्द कान्हा के खातेदारी भूमि खसरा नं. 321 में से खसरा नम्बर 321/1 रकबा 6-06 बीघा भूमि सड़क हेतु अवाप्त हुई थी। मौके पर सड़क पूर्व बनी हुई है। वर्षों से सड़क निर्मित स्थान पर ही आवागमन चालू है। परन्तु सड़क की तरमीम मौके पर स्थित सड़क के स्थान पर न करके खसरा नं. 321 में ही अलग स्थान पर बिना मौका स्थिति ध्यान में रखते हुए, नक्शा ट्रेस में की गई। सड़क तरमीम के नक्शे में जाली के खसरा संख्या 321 को दो भागों में विभक्त किया है। जबकि मौके पर सड़क खसरा नं. 321 में खसरा नं. 322 की सीमा के पास बनी हुई है। मौके पर जाली का सड़क अवाप्ति के बाद शेष क्षेत्रफल 17-05 बीघा सड़क के एक तरफ ही है। वर्तमान में तरमीम अशुद्ध की गई है।

उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

A9/2016 केहराराम v/s सरकार वगैरा

सड़क तरमीम दुरुस्त किया जाना आवश्यक
है। उल्लेखित सड़क तरमीम दुरुस्ती
से सड़क के नाप भूमि एवं प्रार्थी
की खातेदारी भूमि में कोई कमी-
वृद्धि नहीं होगी। सड़क एवं प्रार्थी की
खातेदारी का क्षेत्रफल अप्रभावित रहेगा।
तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि की
तरमीम दुरुस्ती की अनुशंसा की गई
है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि
विवादित भूमि की तरमीम वर्तमान में
अशुद्ध हो रही है जो दुरुस्त किया
जाना न्यायोचित है। एवं विपक्षी क्र. 2
आवश्यक सूचना के बावजूद नहीं है।
इससे प्रतीत होता है, कि प्रार्थी की
खातेदारी भूमि की तरमीम दुरुस्ती
करने में उनको कोई आपत्ति नहीं है।
ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन
स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा प्रार्थी की अपेक्षा राष्ट्रीय
लोक अदालत की भावना को मद्देनजर
रखते हुए, स्वीकार किया जाकर ग्राम-
कुम्हारो की ढाणी की खसरा संख्या 321/1
की वर्तमान/ विद्यमान तरमीम निरस्त करते
हुए तहसीलदार सिणधरी के पत्रांक
130 दिनांक 31.5.17 के संलग्न प्रेषित
उल्लेखित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने
के आदेश पारित किये जाते है। उक्त नक्शा
आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सिणधरी तदनुसार
तरमीम इन्द्राजी किया जाना
सुनिश्चित करावें।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

3/1/12

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ) सिणधरी
(लोक अदालत–केम्प कोर्ट स्थल–अटल सेवा केन्द्र आडेल)

कमांक / वाद / 2017 / 903
प्रेषित– तहसीलदार दिनांक 11.5.17

सिणधरी

विषय–राजस्व आवेदन स.49 / 2016 अनवान केहराराम बनाम सरकार वगैरह मे,तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व आवेदन स..49 / 2016 अनवान केहराराम बनाम सरकार वगैरह मे आवेदन पत्र मे प्राथी श्री केहरा पुत्र करना कौम जाट निवासी सुथारों की बेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ने निवेदन किया है,कि उसके मौजा सुथारों की बेरी खसरा संख्या 321 व 321 / 2 कुल रकबा 17–05 बीधा एवं सरकारी खसरा संख्या 321 / 1 की मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नही की हुई है। जिसके कारण मौका एवं रिकोर्ड की स्थिति भिन्न है।

अतः आपको 500 / –शुल्क पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्दशित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि का मौका मुआयना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे सहित अपनी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुए नियत आगामी पेशी तारिख 31.05.2017 से पूर्व हर हालत में प्रेषित किया जाना सुनिशित करावें। मौका रिपोर्ट बनवाने से पूर्व दोनों पक्षों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में तैयार कर भिजवावे।

(नाथूसिह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner